

# उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

नलकूप या पम्पसेट के लिए बिजली के लिए आवेदन-पत्र



वा में,

सहायक/अधिशायी अभियन्ता

विद्युत वितरण उपखण्ड/खण्ड

.....

रजिस्ट्रेशन संख्या.....  
25/स० की रसीद संख्या.....  
दिनांक.....

- 1- (क) प्रार्थी का नाम व पता - श्री राजकुमार - 57, श्री अमोल कुमार
- (ख) पिता का नाम - श्री - रामपुत्र शर्मा, फतेहपुर तहसील मिर्जापुर (खैरत)
- (ग) नाम ग्राम जिसमें बिजली लेनी है -
- 2- बिजली की शक्ति की मात्रा जिसके लिए आवेदन पत्र दिया जा रहा है।
- 3- प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी।  
जमीन के टुकड़ों का पूरा विवरण उनका क्षेत्र संख्या स्थिति आदि का पूरा विवरण।
- 4- इन्तखाब की नकल संलग्न की गई।
- 5- नया नलकूप की बोरिंग (खुदाई) की गई है।
- 6- नलकूप की बोरिंग का खण्ड विकास अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।
- 7- इससे पूर्व कृषि योग्य भूमि को सिंचाई किस साधन में की जाती है।
- 8- प्रार्थी के क्षेत्र तथा निकटवर्ती नहर के बीच की दूरी यदि निजी नलकूप नहर की 100 मीटर की दूरी से कम पर स्थित है तो बिजली की स्वीकृति के लिए 'अनापस्ति प्रमाण-पत्र' प्राप्त करना होगा।  
इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।
- 9- नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी कोई हो।
- 10- पाइप का व्यास चलनी (स्टेनर) की लम्बाई बोरिंग (खुदाई) की गहराई स्रोत की सतह, पहले वाल पानी फूटने की सतह की गहराई।

नोट : खसरा, खतौनी/जोत वही की छाया प्रति प्रमाणित।

दिनांक : 20/03/23

प्रार्थी के हस्ताक्षर  
पत्र व्यवहार का पता श्री राजकुमार - 57, श्री अमोल कुमार  
.....  
.....

कृषक का नलकूप तकनीकी तौर पर दिया जा सकता है। यह 11 फीट से दिया जायेगा/प्रस्तावित कृषक पर या परिवार के सदस्य पर विद्युत सम्बन्धी कोई बकाया नहीं है। सिंचाई का कार्य ..... द्वारा किया जाता है।

ह० अभियन्ता निजी नलकूप के प्रस्तावित स्थल गाटा संख्या 497 ..... में बोरिंग चालू हालत में है। सिंचाई का कार्य उपखण्ड अधिकारी डीजल चालित इंजन से किया जा रहा है। बोरिंग नहीं है। नया नलकूप योजना ..... अंश० देने की संतुति की जाती है।

66

.....  
.....

अवर अभियन्ता (लघुसि०)  
वि० ख०

खण्ड विकास अधिकारी  
विकास खण्ड  
मिर्जापुर - खैरत